प्रेस नोट दिनांक- 13.10.2025

प्रेस नोट दि0-13.10.2025

थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़

थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त/ अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना संग्रामगढ़ के उ0नि0 विनय वर्मा मय हमराह चीता 27 के कर्मचारीगण का० कृष्णा पाल व का० शिवा तिवारी व म0पीआरडी अर्चना शुक्ला द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मु0अ0सं0 224/23 धारा 498A, 323,504,506,304 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 02 वारण्टी अभियुक्त/ अभियुक्ता, 01. अभियुक्त भरतलाल पाण्डेय पुत्र स्व. श्यामसुन्दर पाण्डेय उम्र 53 वर्ष, 02. अभियुक्ता सुनीता देवी पत्नी भरतलाल पाण्डेय उम्र 51 वर्ष निवासीगण भद्दीव थाना संग्रामगढ़ को उनके घर से गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त/ अभियुक्ता का विवरण-

01. अभियुक्त भरतलाल पाण्डेय पुत्र स्व. श्यामसुन्दर पाण्डेय उम्र 53 वर्ष,

02. अभियुक्ता सुनीता देवी पत्नी भरतलाल पाण्डेय उम्र 51 वर्ष निवासीगण भद्दीव थाना संग्रामगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 विनय वर्मा मय हमराह चीता 27 के कर्मचारीगण का० कृष्णा पाल व का० शिवा तिवारी व म0पीआरडी अर्चना शुक्ला थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक – 13.10.2025

थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना जेठवारा पुलिस की बड़ी कार्यवाही — अवैध पटाखा निर्माण का भंडाफोड़, 03 अभियुक्त गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के पर्यवेक्षण में, थाना जेठवारा पुलिस द्वारा आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध रूप से पटाखा निर्माण / भण्डारण करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है।

थाना जेठवारा प्र0नि0 श्री सुभाष कुमार यादव मय हमराह व0 उनि0 बलराम सिंह, उ0नि0 हेमन्त यादव व म0हेका0 गुड्डी सिंह, का0 अनुराग शुक्ला, का0 अर्पित त्रिपाठी मय चालक वीसी राधेश्याम मिश्र द्वारा क्षेत्र में भ्रमण, संदिग्ध व्यक्ति / वाहन चेकिंग, एवं विस्फोटक पदार्थों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान डेरवा बाजार के हवाईदार मोहल्ले, नगर पंचायत सबलगढ़ डेरवा में दबिश के दौरान पुलिस टीम द्वारा मौके से 03 अभियुक्तों, 01. मो.गुलफाम पुत्र महबूब अली उर्फ पप्पू उम्र करीब 22 वर्ष नि. सबलगढ़ डेरवा हवाइदार मोहल्ला थाना जेठवारा प्रतापगढ़, 02. शमीमुद्दीन उर्फ मुन्ना पुत्र बकरीदी नि. सबलगढ़ डेरवा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 64 वर्ष, 03. शमशाद उर्फ गुड्ड पुत्र स्व. महबूब अली उर्फ वाराती उम्र करीब 32 वर्ष नि. सबलगढ़ डेरवा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्तगणों के कब्जे से अवैध निम्नलिखित विस्फोटक सामग्री व पटाखा निर्माण सामग्री बरामद की गई –

01. सिल्वर दानेदार विस्फोटक पदार्थ — लगभग 5.00 किग्रा
02. पाउडर विस्फोटक पदार्थ — लगभग 3.00 किग्रा
03. पाउडर विस्फोटक पदार्थ — लगभग 4.50 किग्रा
04. बारूद — लगभग 4.00 किग्रा
05. बारूद मिश्रित ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थ — लगभग 10.00 किग्रा
06. लोहे का बुरादा — लगभग 20.00 किग्रा

07. कोयला — लगभग 40.00 किग्रा
08. अनार (एक गत्ता में महताव/रोशनी कागज़) — लगभग 1,550 पिस
09. दस अंगुल लंबी कागज़ की बत्ती लगा बंदर छाप पटाखा — 08 बोरी
10. छह अंगुल लंबी कागज़ की बत्ती लगा बंदर छाप पटाखा — 05 बोरी
11. चार अंगुल लंबी कागज़ की बत्ती लगा बंदर छाप पटाखा — 06 बोरी
12. कागज़ का सिंघाड़ा पटाखा — 12 बोरी
13. पटाखा बनाने की सामग्री (कागज़ व लुग्दी/धागानुमा) — कुल 06 बोरी
14. अनार — 01 बोरी
15. आंशिक निर्मित पोपली (10 अंगुल लंबी कागज़ की) — 01 प्लास्टिक बोरी (अर्धनिर्मित)

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना जेठवारा पर मु0अ0सं0 244/25, धारा 125 बीएनएस व 4/5 विस्फोटक अधिनियम 1884 बनाम 06 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है । उक्त में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
01. मो.गुलफाम पुत्र महबूब अली उर्फ पप्पू उम्र करीब 22 वर्ष नि. सबलगढ़ डेरवा हवाइदार मोहल्ला थाना जेठवारा प्रतापगढ़।
02. शमीमुद्दीन उर्फ मुन्ना पुत्र बकरीदी नि. सबलगढ़ डेरवा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 64 वर्ष ।
03. शमशाद उर्फ गुड्ड पुत्र स्व. महबूब अली उर्फ वाराती उम्र करीब 32 वर्ष नि. सबलगढ़ डेरवा थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

बयान-
प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा आगामी दीपावली पर्व के दृष्टिगत चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान यह कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में जनपद पुलिस अवैध पटाखा निर्माण, भंडारण और विक्रय में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सतत अभियान चला रही है।

यह बरामदगी पुलिस की सजगता और स्थानीय जनता की सक्रिय सहयोग से संभव हुई है। अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थों का निर्माण एवं भंडारण जन सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। ऐसे किसी भी गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

प्रतापगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि—
"सुरक्षित दीपावली मनाएं, अवैध पटाखों से दूरी बनाएं।"

जनपद पुलिस प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए संकल्पित है।
– प्रतापगढ़ पुलिस

प्रेस नोट दिनांक – 13.10.2025
थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना उदयपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही — अवैध पटाखा निर्माण का भंडाफोड़, 01 अभियुक्त गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण में थाना उदयपुर पुलिस द्वारा आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध रूप से पटाखा निर्माण / भण्डारण करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है।

प्रभारी निरीक्षक उदयपुर श्री प्रदीप कुमार मय हमराह उ0नि0 अमित सिन्हा, का0 सुरेन्द्र कुमार, का0 अनिल कुमार, का0 शत्रुघ्न यादव द्वारा क्षेत्र में भ्रमण, संदिग्ध व्यक्ति / वाहन चेकिंग, एवं विस्फोटक पदार्थों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान हरीगेन्द्र सिंह की आरा मशीन के पास अरहर के खेत में दबिश के दौरान पुलिस टीम द्वारा मौके से 01 अभियुक्त शेर अली पुत्र असगर अली करीब 42 वर्ष निवासी ग्राम परानीपुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्तगणों के कब्जे से अवैध निम्नलिखित विस्फोटक सामग्री व पटाखा निर्माण सामग्री बरामद की गई –

01. प्लास्टिक की बोरी में अवैध छोटा गट्टा (पटाखा) — लगभग 400 पीस

02. प्लास्टिक की बोरी में अवैध बड़ा गट्टा (पटाखा) — लगभग 600 पीस

03. बारूद से निर्मित अनार — लगभग 2,500 पीस

04. आकाश में आवाज करने वाला रॉकेट — लगभग 1,000 पीस

05. गंधक — लगभग 200 ग्राम

06. पोटाश (पोटास) — लगभग 100 ग्राम

07. अन्य पाउडर — लगभग 150 ग्राम

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना उदयपुर पर मु0अ0सं0 155/25 धारा 125 BNS व 5/9(ख)1(क) विस्फोटक अधिनियम 1884 का अभियोग पंजीकृत कर 01 अभियुक्त शेर अली को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. शेर अली पुत्र असगर अली करीब 42 वर्ष निवासी ग्राम परानीपुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।

बयान-

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा आगामी दीपावली पर्व के दृष्टिगत चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान यह कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में जनपद पुलिस अवैध पटाखा निर्माण, भंडारण और विक्रय में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सतत अभियान चला रही है।

यह बरामदगी पुलिस की सजगता और स्थानीय जनता की सक्रिय सहयोग से संभव हुई है। अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थों का निर्माण एवं भंडारण जन सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। ऐसे किसी भी गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।

प्रतापगढ़ पुलिस आमजन से अपील करती है कि—

"सुरक्षित दीपावली मनाएं, अवैध पटाखों से दूरी बनाएं।"

जनपद पुलिस प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए संकल्पित है।
– प्रतापगढ़ पुलिस

प्रेस नोट दि0-13.10.2025
थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़

दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त वीर प्रताप सिंह उर्फ वीर सिंह को थाना कंधई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कंधई गुलाबचन्द सोनकर मय हमराह का0 विकेश मिश्रा, का0 राहुल कुमार, म0का0 सुनीता यादव मय चालक का0 जगजीत सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 64(2) K बीएनएस में वाँछित 01 अभियुक्त वीर प्रताप सिंह उर्फ वीर सिंह पुत्र लालप्रताप सिंह नि0 ग्राम जोलहापुर थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ उम्र लगभग 32 वर्ष को थाना कंधई क्षेत्रातंर्गत तेरहमील चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
वीर प्रताप सिंह उर्फ वीर सिंह पुत्र लालप्रताप सिंह नि0 ग्राम जोलहापुर थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ उम्र लगभग 32 वर्ष।

पुलिस टीम-
प्रभारी निरीक्षक कंधई गुलाबचन्द सोनकर मय हमराह का0 विकेश मिश्रा, का0 राहुल कुमार, म0का0 सुनीता यादव मय चालक का0 जगजीत सिंह थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़ ।